

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ संकल्प ॥

विषय—ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय/स्थानांतरण पर अधिरोपित रोक के मद्देनजर भू-स्वामियों की तात्कालिक आवश्यकता के कारण बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि के क्रय के लिए अधिकृत करने, सरकारी प्राधिकार को भू-अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना हेतु संबंधित निवेशक को भूमि क्रय/लीज करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य मंत्रिपरिषद् के द्वारा सभी ग्यारह ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में मास्टर प्लान/जोनल प्लान तैयार करने के लिए भूमि के क्रय-विक्रय/स्थानांतरण, भूमि का विकास एवं भवन निर्माण पर रोक लगाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. राज्य सरकार के संज्ञान में ऐसे कतिपय मामले आए हैं, जिसमें भू-स्वामियों के द्वारा तात्कालिक आवश्यकता के मद्देनजर भूमि का विक्रय करने की इच्छा प्रकट की गई है ताकि वे अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का प्रबंध कर सकें।


3. भू-स्वामियों की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए भूमि विक्रय की स्थिति उत्पन्न होने पर बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के अधीन भूमि का क्रय किया जा सकता है। भविष्य में सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा उक्त भूमि के विरुद्ध लैंड पुलिंग के माध्यम से प्राप्त विकसित प्लॉट पर आवासीय अथवा व्यवसायिक परियोजनाएं लाई जा सकेगी अथवा उक्त भूमि को सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के तहत संबंधित आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को स्थानांतरित की जा सकती है।



4. सरकारी परियोजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है। साथ ही, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भूमि क्रय/लीज की अनुमति दी जाती है, ताकि टाउनशिप के लिए आरंभिक पूँजी निवेश का आधार सुदृढ़ हो।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय/स्थानांतरण पर अधिरोपित रोक के मद्देनजर भू-स्वामियों की तात्कालिक आवश्यकता के कारण बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि के क्रय के लिए अधिकृत करने, सरकारी प्राधिकार को भू-अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना हेतु संबंधित निवेशक को भूमि क्रय/लीज करने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-17.06.2026 को मद संख्या-06 के रूप स्वीकृति प्रदान की गयी।


आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।


19/6/2026
(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026(Part-I) 6608 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक-19/06/26

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।


19/6/2026
संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।


ज्ञापांक-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026(Part-I) 6608 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक-19/06/26

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना/अध्यक्ष, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी समाहर्ता -सह- जिला निबंधक/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री-सह-मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक-17.06.2026 की बैठक में मद संख्या-06 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


19/6/2026

संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।